न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 141/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अन्य ग्रामीण ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

सेवा महतो वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

24/10/25

प्रथम पक्ष के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 29.08.2025 की तिथि से निषेधाज्ञा प्रभावी कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया-

विवादित भूमि का विवरण

मौजा- तारानारी, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 02, रकबा- 64.25 एकड़
चौहद्दी : - अंकित नहीं है।

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ सार्वजनिक भूमि है जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें बिहार भू-दान यज्ञ कमिटी द्वारा हासिल है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में बिहार भूदान का पर्चा की छायाप्रति, ऑनलाईन पंजी-II की छायाप्रति, ऑनलाईन एवं ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, हुकुमनामा की छायाप्रति, फर्द अमीन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

अंचल अधिकारी बगोदर का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म जमीन जंगल दर्ज है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अध्ययन, अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने

के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि द्वितीय पक्ष भू-दान पर्चे के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना दावा करते हैं।

चुँकि मामला गैरमजरूआ जमीन का है तथा किस्म जमीन जंगल है अतः उक्त जमाबन्दी की वैधता पर निर्णय लेना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी जमाबंदियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। अतः अंचल अधिकारी बगोदर को निदेशित किया जाता है कि उक्त जमाबंदी की सम्यक् समीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध न्याय निर्णय Civil writ 202/95 dated 12/12/1996 T.N. Godavarman Thirumal Vs Union of India & Ors.

"the term 'Forest land' occuring is section 2 will not only include 'forest' as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as Forest in the Government record irrespective of ownership" तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 8/78/1996-FC(pt) dated 10th March 2015 के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे तथा तदुपरांत संतुष्ट होकर झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के तहत विधिसम्मत कार्यवाई आरंभ करेंगे। उक्त संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स. भू. (दिशा निर्देश) 95/2016-2074/रा0 दिनांक 13/5/2016 तथा अन्य प्रासंगिक पत्रों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जमाबन्दी की वैधता सुनिश्चित होने तक द्वितीय पक्ष के हित में कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। साथ ही चुँकि उक्त भूमि का किस्म जंगल (Deemed forest) है अतः गैर वानिकी कार्य अनुमान्य नहीं हो सकता है। प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बगोदर तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर-सरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by localhost
Date: 2025.12.04 12:45:22 +05:30
Location: 10.93.146.77